

- (2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एन्नोट पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के 11 अक्टूबर, 1999 से 31 मार्च, 2001 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का 11 अक्टूबर, 1999 से 31 मार्च, 2001 तक का अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7225/2003]

- (4) (एक) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7226/2003]

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): महोदय, मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय की वर्ष 2003-2004 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7227/2003]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर): महोदय, मैं डाक विभाग की वर्ष 2003-2004 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7228/2003]

अपराह्न 12.07 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

“राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 2003 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 3 मार्च, 2003 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।”

अपराह्न 12.07^{1/2} बजे

प्राक्कलन समिति

बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. उम्मा रेड्डी वेंकटेश्वरलु (तेनाली): महोदय, मैं रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) - 'उत्तर-पश्चिम रेलवे के क्षेत्रीय मुख्यालय को जयपुर से अजमेर स्थानान्तरित किया जाना' के बारे में प्राक्कलन समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): जयपुर में बड़ी मुश्किल से रेलवे का जोनल कार्यालय खुला है, वह वहीं रहना चाहिए। इसलिए इसे ड्राप किया जाए।

अपराह्न 12.08 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य*

इराक की स्थिति

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ सप्ताहों से इराक से संबंधित हालात तेजी से बदल

*[ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7229/2003]

रहे हैं। भारत हमेशा से इराक मुद्दे का शांतिपूर्ण हल ढूंढने के पक्ष में रहा है। खाड़ी में शांति और खुशहाली से भारत का महत्वपूर्ण हित जुड़ा हुआ है क्योंकि इस क्षेत्र के देशों के साथ लम्बे अरसे से हमारे राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध चले आ रहे हैं। खाड़ी देशों में 35 लाख से अधिक भारतीय लोग काम कर रहे हैं जिनकी खैरियत तथा सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। उनके द्वारा भेजा जाने वाला धन हमारे देश के लिए विदेशी मुद्रा एकत्र करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत के 60 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल का आयात इस क्षेत्र से किया जाता है। खाड़ी के देश हमारे निर्यात के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में उभरे हैं।

भारत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अपने संकल्प 1441 में सर्वसम्मति से लिए गए उस निर्णय की वैधता को मानता है जिसमें इराक को हथियारों से मुक्त कराने तथा इराक, कुवैत और पड़ोसी देशों की सम्प्रभुता तथा क्षेत्रीय अखण्डता की पुष्टि करने का प्रावधान किया गया है। संकल्प 1441 में ऐसे निरीक्षणों की कड़ी व्यवस्था की गई है जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की इस मांग को पूरा किया जा सके कि इराक से व्यापक विनाश के हथियारों को समाप्त किया जाए। हमारा मानना है कि इराक को निरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहयोग देना चाहिए तथा सुरक्षा परिषद के सभी संगत प्रस्तावों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। यदि इस सहयोग में तेजी आई होती, तो युनाइटेड नेशंस मानीटरिंग, वेरीफिकेशन एंड इंस्पेक्शन कमीशन तथा इंटरनेशनल आटोमिक एनर्जी एजेंसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस बात का प्रमाण दे सकते थे कि इराक ने संकल्प 1441 का पूर्ण रूप से पालन किया है।

इराक में हथियार निरीक्षक अपना कार्य कर रहे हैं। आगे क्या कार्रवाई की जाये इसके बारे में सुरक्षा परिषद को ही निर्णय लेना चाहिए। इराक द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों पर पूरी तरह अमल करने के उद्देश्य और इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपनाये जाने वाले उपायों, दोनों पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को बहुत ही सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। इस उद्देश्य को संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से एक सामूहिक निर्णय द्वारा बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। यदि और अधिक समय देने से तथा स्पष्ट मानदंड तैयार करने से, संयुक्त राष्ट्र संघ के दायरे में किसी निर्णय पर पहुंचने में मदद मिल सकती है, तो हम समझते हैं कि इस विकल्प के लिए भी एक मौका दिया जाना चाहिए। हम आशा करते हैं कि सुरक्षा परिषद के सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए आपस में सामंजस्य स्थापित करेंगे कि इसके अंतिम निर्णय से संयुक्त राष्ट्र संघ की वैधता तथा विश्वसनीयता में वृद्धि हो। यदि एकपक्षीयता हावी होती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को गहरी चोट पहुंचेगी जिससे विश्व-व्यवस्था के लिए घातक परिणाम होंगे।

इसलिए, भारत सरकार जोर देकर यह आग्रह करती है कि ऐसी कोई सैन्य कार्रवाई न की जाए जिसे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक सहमति प्राप्त न हो।

भारत ने इराक में कठिन मानवीय स्थिति के बारे में विभिन्न अवसरों पर अपनी चिंता जताई है। इराक की जनता एक दशक से भी अधिक समय से घोर अभावों और कठिनाइयों में जीवन बिता रही है। हम हमेशा यही कहते आए हैं कि यदि इराक सुरक्षा परिषद के सम्बद्ध संकल्पों के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करता है तो उसके खिलाफ लगाये गए प्रतिबंधों को हटा लिया जाना चाहिए।

हालांकि हम संपूर्ण मानव जाति के हित में यही आशा करते हैं कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है, फिर भी, मेरी सरकार ने किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार की हैं। इस समय इराक में 50 से कम भारतीय नागरिक हैं तथा उन सभी लोगों को सलाह दी गई है कि वे आने वाले दिनों में इराक छोड़ दें। इस बात की कम संभावना है कि युद्ध की आशंका से पड़ोसी देशों में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को बड़े पैमाने पर स्थानांतरित होना पड़ेगा, फिर भी, यदि आवश्यक हुआ तो नागरिक उद्धार मंत्रालय ने भारतीय लोगों को वहां से लाने के लिए योजनाएं तैयार की हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कच्चे तेल का भंडारण करने के लिए कदम उठाये हैं। हालांकि कच्चे तेल के आयात में कोई बड़ी बाधा आने की आशंका नहीं है, फिर भी, यदि थोड़े समय के लिए कीमते बढ़ती हैं तो भारत के पास कच्चे तेल के आयात पर आने वाली अधिक लागत को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार मौजूद है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): सर मेरा कार्य स्थगन प्रस्ताव है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर वक्तव्य दिया है। सामान्यतः हमारी सभा में ऐसे वक्तव्यों पर स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन इस विशेष मामले पर मैं मामले के महत्व को देखते हुए कुछ नेताओं को अपने प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए तैयार हूँ। मैं आशा करता हूँ कि सभा इससे